राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेष

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेष शासन)

नियम–पुस्तिका

संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के चयन के लिये

(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)

(2023-2024)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन,मध्यप्रदेष

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन (एन.एच.एम.),मध्यप्रदेष के अन्तर्गत संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

एन.एच.एम. ,म.प्र. संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के 32 संविदा रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षो की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के 32 पद का विवरण :–

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछडावर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यार्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मीटरडिसेबिलटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निग डिसेबिलेटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता) 1.5 %
संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट	32	6	3	4	2	3	2	6	3	2	1	—	—	1	1

- निषक्तजन के लिये संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के रिक्तियों में से 02 पद निःषक्तजन के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निष्क्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal)के आधार पर 06 प्रतिषत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देषों ,लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करे **www.mponline.gov.in** अथवा **http://iforms.mponline.gov.in** पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	12/03/2024
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	19/03/2024
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	10/04/2024
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	11/04/2024

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएॅः–

Professional Diploma in Clinical Psychology (1Year Course) from the institution recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) and having live CRR (Cenral Rehabilitation Register) Number.

OR

M.Phil in Clinical psychology (2 years Course) from the institution recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) and having live CRR (Cenral Rehabilitation Register) Number.

OR

Psy.D in Clinical psychology (4year Course) from the institution recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) and having live CRR (Cenral Rehabilitation Register) Number.

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें:–

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 षिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- Professional Diploma in Clinical Psychology (1Year Course) from the institution recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) and having live CRR (Cenral Rehabilitation Register) Number.परीक्षा की अंकसूची एंव जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

OR

- M.Phil in Clinical psychology (2 years Course) from the institution recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) and having live CRR (Cenral Rehabilitation Register) Number परीक्षा की अंकसूची एंव जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ।

OR

- Psy.D in Clinical psychology (4year Course) form the institution recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) and having live CRR (Cenral Rehabilitation Register) Number. जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेष का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07–11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिष्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।

- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नही किया जावेगा।

नोटः– आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारियों का स्वंय परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रृटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2024.

3 *आयु सीमाः– 21–40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2024)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रषासन के परिपत्र क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 –2019 एवं समय –समय पर जारी संषोधन लागू समझे जायेगें। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,निषक्तःजन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरणः– आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कषीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा औरउम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नही किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीद्वारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेष के निवासी है।

4. वेतनः–

4.1 चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 42,700/–** रूपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियमः–

5.1 मध्यप्रदेष राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेष के उम्मीद्वारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेष के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होगें।

6. **आवेदन प्रक्रियाः–**

6.1 उम्मीद्वारों को **10/04/2024** तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देषो और दिषा निर्देषों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिहि्नित)] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये है और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट

किया गया है'' आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।

6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्लयूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नही होगा।

6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगाः–

(क) बहरे कम सुनने वाले।

(ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।

(ग) ऑटिज्म बौद्विक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलेटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।

(6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **चयन प्रक्रियाः–**

7.1 संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।

7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।

7.3 परीक्षा केन्द्र /शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीद्वारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते है। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगाः–

(क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीद्वारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताऐं।

(ख) प्राथमिकताऐं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, एमपी ऑनलाइन द्वारा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

7.5 ई–एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाईट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड **http:// www.mponline.gov.in** **http://iforms.mponline.gov.in** पर परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाईट पर होगी।

7.6 परीक्षा के लिए प्रष्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू **(MCQ)** प्रष्न शामिल होगे। प्रत्येक प्रष्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नही होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम् उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and** ST मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।

7.8 उपरोक्त मापदण्डो के अनुसार यदि उम्मीद्वारों की आवष्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिषन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवष्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगीः–

(i) आयु में बड़े उम्मीद्वार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिषत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्षी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नही है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीद्वारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।

7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डो का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिषिचित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीद्वार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीद्वार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीद्वारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकारः–**

1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. प्रतिरूपण किया जाना।
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
6. किसी आवष्यक जानकारी का छिपाया जाना।
7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देषों का उल्लघंन किया जाना।
10. पुरूष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पष्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
12. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।

8. **स्थान आवंटनः—**

8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

8.2 उम्मीद्वार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी,** पद के लिए उम्मीद्वार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नही कर सकता है। यदि उसकी उम्मीद्वारी का पता नही लगाया है तो उसकी उम्मीद्वारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीद्वारों को सहमत होना होगा कि ''मै पूरी तरह से समझता/समझती हूॅ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण ,केवल सूचना के उद्देष्य से मांगे जा रहे है। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हू।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाः—**

(क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।

(ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवष्यक विवरण प्रस्तुत करना आवष्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, षिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।

(ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीद्वारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवष्यक क्रेडेंषियल/दस्तावेज/पंजीकरण नही है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीद्वारो को अयोग्य माना जाएगा।

(ड़) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नही करेगें, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नही किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देष और दिषा निर्देषः—**

10.1 **चयनित उम्मीद्वारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवष्यकता हैः—**

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीद्वारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कषीट।

(ख) नवीनतम् पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेष के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ड़) नवीनतम् चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(च) संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व—सत्यापित प्रतिलिपि

(छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नही किया जाएगा।

(ञ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के लिये लागू होगें।

(झ) गर्भवती उम्मीद्वार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा,ओर उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिष्चित किया जायेगा।

(अः) सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ट) सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07–11/2019/आप्र/ 1,दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिष्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल–2021 (संषोधित) के अनुरूप होंगी।

12 **चयन प्रक्रिया में संषोधन का अधिकारः–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संषोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संषोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिषन आवष्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिषन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन मध्यप्रदेष को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाएॅः–

13.1 '' चयन परीक्षा'' का अर्थ **संविदा क्लीनिकल साईकलॉजिस्ट** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट–1

TOR for Clinical psychologist

a. To examine and manage health care needs o the mentally Ill Patients.

b. To do periodic followup of the mentally Ill Patients.

c. To do the outreach activity /plan and clinical psychology Clinics in PHC,s/CHCs and others sites periodically.

d. To refer complicatedcases to tertiary level hospitals.

e. To impart training to the health personnel of community Health Centre and primary Health Center as per guidelines issued by National Mental Health Cell.